समझौता ज्ञापन (एमओयू)

राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश राज्य

और

संघ सरकार के बीच में

संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

amongst

THE STATE OF RAJASTHAN,

THE STATE OF MADHYA PRADESH

and

THE UNION GOVERNMENT

on

MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL LINK PROJECT

28th January, 2024

New Delhi

संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और संघ सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)

पक्षकारों का नाम और पता

1. राजस्थान सरकार, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
2. मध्य प्रदेश सरकार, जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. संघ सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।

I. परिचय

क. जबकि भारत सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व का मानती है और परियोजना अनुदान के तौर-तरीकों पर कार्य करेगी ताकि परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

ख. जबकि भारत सरकार, राज्यों के परामर्श से, बेसिन में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण सहित चंबल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक योजना विकसित करेगी। संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के रूप में नामित यह लिंक, देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का हिस्सा होगा, जैसा कि 13 दिसंबर, 2022 को आयोजित नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) की 20वीं बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ग. जबकि संशोधित पीकेसी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) और दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से तैयार की जाएगी।

घ. और जबकि केन्द्र सरकार, राज्यों के परामर्श से संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रणाली बनाएगी। भारत सरकार राज्यों के परामर्श से जल साझाकरण करार/करारों के अनुसार जल लेखांकन और जल के आबंटन के लिए एक उपयुक्त निकाय भी बनाएगी।

28/11/24 देवश्री मुखर्जी

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) AMONGST THE STATE OF RAJASTHAN, THE STATE OF MADHYA PRADESH AND THE UNION GOVERNMENT ON MODIFIED PARBATI-KALISINDH-CHAMBAL LINK PROJECT.

Name & Address of Parties

1. Government of Rajasthan, Water Resources Department, Jaipur.
2. Government of Madhya Pradesh, Water Resources Department, Vallabh Bhawan, Bhopal.
3. Union Government, Ministry of Jal Shakti, Shram Shakti Bhawan, New Delhi.

I. Introduction

A. WHEREAS the Government of India considers the programme for inter linking of rivers as of national importance and shall work out to find out/suggest modalities for project funding mechanism so as to enable to complete the project within the stipulated time frame.

B. WHEREAS the Government of India, in consultation with the States, shall develop a plan for interlinking of rivers of Chambal basin including the integration of Eastern Rajasthan Canal Project for optimum utilisation of water resources in the basin. This link named as the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal Link, shall be part of the National Perspective Plan(NPP) of interlinking of rivers in the country, as approved by Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR) in its 20th meeting held on 13th December, 2022.

C. WHEREAS, the Detailed Project Report of the Modified PKC link shall be prepared jointly by National Water Development Agency (NWDA) and both the states expeditiously as per prevailing guidelines.

D. AND WHEREAS the Union Government, in consultation with the States will create an appropriate mechanism for implementation of the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal Link as appropriate. Govt. of India in consultation with the States will also create an appropriate body for water accounting and allocation of water as per water sharing agreement(s).

28/11/23

II. पृष्ठभूमि

क. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) (तकनीकी अध्ययन संख्या एफआर(पी)/9/04) के अंतर्गत पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार की गई और फरवरी, 2004 में राजविअ की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों और संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की गई। पीकेसी लिंक परियोजना को मूर्त रूप में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनने के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

ख. जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के साथ एनपीपी के पार्बती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक के एकीकरण पर नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स (टीएफआईएलआर) की 11वीं और 12वीं बैठक में चर्चा की गई थी। इसके बाद, पीकेसी लिंक के साथ ईआरसीपी के एकीकरण के मुद्दे पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर राज्यों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया है।

ग. संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के महत्व और उपयोगिता को देखते हुए, नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति (एससीआईएलआर) ने नई दिल्ली में दिनांक 13.12.2022 को आयोजित अपनी 20वीं बैठक में देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्से के रूप में संशोधित पीकेसी लिंक को मंजूरी दे दी है और इसे देश में प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं में से एक के रूप में भी घोषित किया है।

III. अब, इसलिए यह पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से निम्नानुसार माना जाता है :

1.0 संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना में जल साझाकरण

1.1 ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक में जल बंटवारे का निर्धारण, नियंत्रण बोर्ड में दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति और जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन परियोजनाओं की योजना के लिए दिशानिर्देशों द्वारा किया जाएगा।

1.2 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक की डीपीआर के परिणाम के आधार पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और संघ सरकार के बीच अपेक्षित विशिष्ट समझौता ज्ञापन बाद में तैयार किया जाएगा, जिसमें परियोजना के कार्य के दायरे, पानी का बंटवारा, पानी का

देवश्री मुखर्जी

II. Background

1. The Feasibility Report (FR) of Parbati-Kalisindh-Chambal (PKC) link project under National Perspective Plan (NPP) (Technical Study No. FR(P)/9/04) was prepared and circulated amongst the members of TAC and to the concerned State Governments in February-2004. The PKC link project could not be materialized because the consensus on water sharing could not reach between Madhya Pradesh and Rajasthan.

2. With a view to utilise the water resources optimally, the integration of the Parbati-Kalisindh-Chambal (PKC) link of NPP with Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) was discussed in 11th and 12th meeting of the Task Force for Interlinking of Rivers (TFILR). Thereafter, the issue of integration of ERCP with PKC link has been deliberated regularly with states at various platforms.

3. Looking at the importance and utility of the Modified PKC link project, Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR), in its 20th meeting held on 13.12.2022 in New Delhi has approved the Modified PKC link as the part of the National Perspective Plan of Interlinking of rivers in the country and also declared it as one of the priority link projects in the country.

III. NOW, THEREFORE IT IS HEREBY MUTUALLY UNDERSTOOD BY THE PARTIES AS FOLLOWS:

1.0 Water Sharing in Modified PKC link project

1.1 The water sharing in the Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link duly integrated with ERCP shall be determined by the understanding reached between two states in the Control Board and guidelines for planning of water resources projects of Ministry of Jal Shakti.

1.2 Specific MoA as required shall be entered later amongst the States of Rajasthan, Madhya Pradesh and Union Government based on the outcome of the DPR of Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link duly integrated with Eastern

आदान-प्रदान, लागत और लाभों का बंटवारा, जल के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया और व्यवस्था आदि शामिल होगा।

1.3 संशोधित पीकेसी लिंक के तहत, कूनो और पार्बती में दो राज्यों के बीच पानी का समान आदान-प्रदान होगा। कालीसिंध और ऊपरी चंबल बेसिन में विस्तृत आकलन के आधार पर तथा दोनों राज्यों में चम्बल घाटी विकास परियोजना को बिना प्रभावित किये हुए, पानी का समान आदान-प्रदान होगा।

1.4 इस प्रणाली के तहत, दोनों राज्यों को अंतर-राज्यीय नदियों में सिंचाई परियोजनाओं की योजना के लिए सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के डीपीआर की तैयारी के लिए दिशानिर्देश, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, 2010 और अंतरराज्यीय नदियों में सिंचाई परियोजनाओं की योजना के लिए नीति आयोग के मानदंडों के अनुसार जल उपलब्धता का उपयोग करने की अनुमति होगी। यद्पि, दोनों राज्य, लागू मानदंडों और जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर आकलित मांगों के अनुसार कालीसिंध उप-बेसिन के साथ-साथ चंबल नदी की अन्य सहायक नदियों का परस्पर सहमति के आधार पर अधिक जल उपयोग कर सकते हैं।

1.5 संशोधित पीकेसी लिंक के किसी भी परियोजना स्थल पर निवल जल उपलब्धता का आकलन करते समय, ऊपरी या नीचे प्रतिबद्धताओं में मौजूदा, चालू और विचारित परियोजनाओं की आवश्यकताओं पर विचार करने के अलावा उस स्थान पर मानसून देय का 10 प्रतिशत और गैर-मानसून प्राकृतिक देय का 100 प्रतिशत का प्रावधान पर्यावरण प्रवाह के लिए आरक्षित किया जाएगा।

2.0 संशोधित पीकेसी लिंक के घटक

2.1 संशोधित पीकेसी लिंक प्रस्ताव में मुख्य रूप से शामिल हैं:

2.1.1 मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करने वाले घटक:-

क. पार्बती नदी पर कुंभराज में प्रस्तावित एक बांध;

ख. कुनो नदी और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित बांध;

ग. कुंडलिया बांध की ओर जल पथांतरित करने के लिए कालीसिंध में लखंदर नदी पर लखंदर बैराज और कुंडलिया बांध स्थल के ऊपर प्रस्तावित रंजीत सागर बांध;

Rajasthan Canal Project, covering scope of the work of the Project, sharing of water, exchange of water, sharing of costs & benefits, implementation mechanism and arrangements for management and control of water etc.

1.3 Under the Modified PKC link, there shall be equal exchange of water in Kuno and Parbati between two states. There shall be equal exchange of water in Kalisindh and Upper Chambal basin based on detailed hydrology and without affecting the Chambal Valley Development Project in both the states.

1.4 Under the system, both the states shall be allowed to use the water availability as per Guidelines for preparation of DPRs of Irrigation and Multipurpose Projects, Govt. of India, Ministry of Water Resources, 2010 and Niti Aayog norms for planning of irrigation projects in inter-states rivers. However, the states can harness more water of Kalisindh sub-basin as well as such other tributaries of the Chambal river as per demands assessed based on applicable norms and optimum utilization of water resources, as mutually agreed by both the states.

1.5 While assessing the net water availability at any project location of Modified PKC link, apart from considering the requirements of existing, ongoing and contemplated projects in U/S or d/s commitments, if any, the provision for 10 percent of monsoon yield and 100 percent of non-monsoon natural yield at that location shall be reserved for environment flows.

2.0 Components of Modified PKC Link

2.1 Modified PKC Link proposal broadly includes:

2.1.1 Components Benefitting the State of Madhya Pradesh-:

a) A dam proposed at Kumbhraj across Parbati river;

b) Dams proposed across Kuno river and its tributaries;

c) Lakhunder Barrage across Lakhunder river in Kalisindh to divert water to Kundaliya dam and Ranjit Sagar dam proposed upstream of Kundaliya dam site;

घ. कालीसिंध उप-बेसिन से गांधीसागर जलाशय या ऊपरी चम्बल उप-बेसिन में जल का अंतरण और सात परियोजनाओं नामत: सोनचिरी, रामवासा, बकोरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, सेकरी और सुल्तानपुरा के माध्यम से ऊपरी चम्बल बेसिन में इसके समतुल्य उपयोग।

2.1.2 राजस्थान राज्य को लाभ पहुंचाने वाले घटक:-

क. कुल नदी पर रामगढ़ बैराज;

ख. पार्बती नदी पर महलपुर बैराज;

ग. कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज;

घ. मेज नदी पर मेज बैराज;

ङ. बनास नदी पर राठौड़ बैराज;

च. बनास नदी पर डूंगरी बांध;

छ. रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक जल स्थानांतरण प्रणाली;

ज. ईसारदा बांध एवं 26 टैंक (मौजूदा) का नवीनीकरण तथा ईआरसीपी के विभिन्न संरक्षण बिंदुओं के साथ एकीकरण।

इस लिंक परियोजना में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराने के अलावा दोनों राज्यों में 2.8 लाख हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने का प्रस्ताव है।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर रूप से उपयोग करने में मदद करेगी। लाभ के क्षेत्रों सहित संशोधित पीकेसी लिंक के विभिन्न घटकों को दोनों राज्यों के परामर्श से डीपीआर स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

2.2 संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चम्बल लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य दोनों राज्यों और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। दोनों राज्य डीपीआर तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में पूरा सहयोग करेंगे। सभी परियोजनाओं का जल आकलन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाएगा।

देवश्री मुखर्जी

d) Transfer of water from Kalisindh sub-basin to Gandhisagar reservoir or upper Chambal sub-basin and its equivalent utilisation in Upper Chambal basin through seven projects namely Sonechiri, Ramwasa, Bachora, Padunia, Sewarkheri, Sekri and Sultanpura;

2.1.2 Components Benefitting State of Rajasthan -:

a) Ramgarh Barrage on Kul River;
b) Mahalpur Barrage on Parbati river;
c) Navnera Barrage on Kalisindh river;
d) Mej Barrage on Mej river;
e) Rathod Barrage on Banas river;
f) Doongri Dam across Banas river;
g) Water conductor system from Ramgarh barrage to Doongri dam;
h) Renovations and Integration of Isarda dam and 26 nos. of tanks (existing) with various conservation points of ERCP.

This link project proposes to provide drinking and industrial water in 13 districts of eastern Rajasthan, Malwa and Chambal regions of Madhya Pradesh apart from providing irrigation in 2.8 lakh ha. area or more each in both the states including supplementation of en- route tanks in the states.

The Modified PKC link project will help in utilizing the available water resources of Chambal basin optimally and economically. The various components of Modified PKC link including areas of benefit shall be firmed up at DPR stage in consultation with both the states.

2.2 The preparation of DPR of Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link shall be taken up jointly by both the states and National Water Development Agency. Both the States shall extend full cooperation in preparation and finalisation of the DPR expeditiously. The Hydrology of all the projects shall be finalised by Central Water Commission.

मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों ने चंबल बेसिन के पानी का बेहतर उपयोग करने और दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक हित में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की आयोजना तथा डीपीआर तैयार करने के लिए संघ सरकार के साथ समझौता किया है।

28 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

(डा. राजेश कुमार राजोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

(देबाश्री मुखर्जी)
सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

Both the states of Madhya Pradesh and Rajasthan enter into Agreement with the Union Government for the planning and preparation of the DPR of the Modified PKC link project in the larger interest of utilising the waters of Chambal basin optimally and fulfil the irrigation and the drinking water needs in both the states.

Signed at New Delhi on this day of 28th January, 2024

(Dr Rajesh Kumar Rajora)
(ACS, WRD, Govt. of Madhya Pradesh)

(Abhay Kumar)
(ACS, WRD, Govt. of Rajasthan)

(Debashree Mukherjee)
Secretary, DoWR, RD&GR,
Ministry of Jal Shakti, Govt. of India